संख्या-171/2016/4053 /नौ-8-2016-35पी/2016

प्रेषक,

उमाशंकर सिंह,
विशेष कार्याधिकारी,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उत्तर उत्तर प्रदेश लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-8 लखनऊ: दिनांक 27 दिसम्बर, 2016

विषयः- नगर पालिका परिषद टाण्डा, जनपद रामपुर में आधुनिक पशुवधशाला के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

मा0 सर्वोच्च न्यायालय में पशुवधशालाओं से सम्बन्धित बिन्दुओं पर योजित रिट याचिका- (सिविल) 309/2003, लक्ष्मी नारायण मोदी बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य के सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुक्रम में प्रदेश के स्थानीय नागर निकायों में स्थित पुरानी पद्वति की जीर्ण-शीर्ण पशुवधशाओं का आधुनिकीकरण एवं आधुनिक पशुवधशालाओं की स्थापना किये जाने हेतु शासनादेश संख्या- 2394/9-8-2014-03 (पी)/214 दिनांक 26 नवम्बर, 2014 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में पुरानी पद्वति की पशुवधशालाओं का आधुनिकीकरण एवं आधुनिक पशुवधशालाओं की स्थापना किये जाने हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि में से नगर पालिका परिषद टाण्डा द्वारा उपलब्ध करायी गयी कार्ययोजना का सक्षम स्तर पर परीक्षणोपरांत नगर पालिका परिषद टाण्डा में आधुनिक पशुवधशाला के निर्माण हेतु निम्नलिखित विवरण/शर्तो के अनुसार नगर पालिका परिषद टाण्डा जनपद-रामपुर के लिए रूपये 622.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रूपये 248.80 लाख (रूपये दो करोड़ अड़तालिस लाख अस्सी हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र.	परियोजना का विवरण	प्रस्तावित धनराशि	मूल्यांकित लागत	वित्तीय स्वीकृति की धनराशि
a)	Land, Site Development	00	00	
b)	Cost of Civil Works/Buildings	288.00	259.00	
c)	Cost of Plant & Equipment	258.60	258.00	
d)	Cost of other equipment i.e.	117.00	105.00	
	TOTAL PROJECT COST	663.60	622.00	248.80

(रूपये दो करोड़ अड़तालिस लाख अस्सी हजार मात्र)

(1) स्वीकृत धनराशि एकमुस्त न आहरित कर आवश्यकता अनुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाये। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(4) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

(5) कार्यदायी संस्था द्वारा समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरण क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(6) कार्यदायी संस्था द्वारा एक कमेटी का गठन किया जायेगा। इस कमेटी द्वारा प्रस्तावित कार्यमदों का क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) प्रायोजना में प्रस्तावित कतिपय कार्यमदों यथा- फर्नीचर, डी0जी0 सेट, सर्विस कनेक्शन, आन्तरिक एवं वाहय विधुतीकरण, लाइटिंग, फैन्स, हाट वाटर जनरेटर, पोर्टेबिल वाटर वितरण, हाइजीन,सी0सी0 टी0वी0 , रेफ्रीजियेटर, फायर फाइटिंग उपकरण आदि प्रोप्राइटरी सम्बन्धी कार्यमदों की लागत के जस्टीफिकेशन हेतु बजटरी आफर/कोटेशन संलग्न किये गये है चूकिं यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य है एवं इनके शिडयूल आफ रेटस उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक माडल एवं स्पेशीफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। इसके दृष्टिगत निकाय से यह अपेक्षा की जाती है कि निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाय।

(8) प्रायोजना में कार्यालय फर्नीचर,डी0जी0 सेट, हाट वाटर जनरेटर पोर्टेविल वाटर वितरण सिस्टम, हाइजीन, सी0सी0टी0वी0 रेफ्रीजियेटर, फायर फाइटिंग उपकरण आदि से सम्बन्धित कार्यमदों की आवश्यकता एवं औचित्य के परीक्षण हेतु सचिव, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाय। यह कमेटी इन कार्यमदों की आवश्यकता एवं औचित्य का परीक्षण कर लेगी तथा आगणन में अनुमानित इन कार्यमदों की लागत की सीमा के अन्तर्गत न्यूनतम लागत की संस्तुति करेंगी।

(9) शासन द्वारा लागत का आंकलन प्रस्तावित मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए मात्र दरों के आधार पर परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

3. नगर पालिका परिषद टाण्डा जनपद रामपुर में आधुनिक पशुवधशाला के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था नगर पालिका परिषद टाण्डा, रामपुर होगी।

4. उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत लेखाशीर्षक-"2217-शहरी विकास-80-सामान्य-800 अन्य व्यय- 10 पशुवशालाओं का आधुनिकीकरण-35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित विभाग के अशासकीय संख्या-ई-8-3224-दस-16, दिनांक 27 दिसम्बर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहें है।

भवदीय

(उमाशंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

संख्या- 171/2016/4053(1)/9-8-2016 तददिनांक ।

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-</u>

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग।
3. मण्डलायुक्त, बरेली मण्डल।
4. जिलाधिकारी, रामपुर।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ उत्तर प्रदेश।
6. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद टाण्डा, जनपद-रामपुर।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 एवं 9/ वित (आय-व्ययक) अनुभाग-1, 2
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(उमाशंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।